

न्यायालय:-उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,रायपुर (ब्यावर)  
पीठासीन अधिकारी :-श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 47/2020

प्रकरण दर्ज तिथि :- 17.08.2020

जीसीएमएस नम्बर :- 2020/00073

वादीगण :-

1. सुगनी पत्नी उदा जी उम्र 64 साल(फौत होने से हटाया गया),
2. भंवरलाल पुत्र उदा जी, उम्र - 49 साल,
3. बिरमराम पुत्र उदा जी, उम्र - 45 साल,

जातियान गुर्जर, निवासीगण - केसरपुरा - सुमेल, तहसील - रायपुर जिला- ब्यावर (राजस्थान)  
बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. तहसीदार जी, तहसील कार्यालय- रायपुर, जिला -ब्यावर।
2. पटवारी पटवार हल्का - सुमेल, तहसील -रायपुर (ब्यावर)।

दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
उपस्थित 1 श्री भागीरथ तैली अधिवक्ता वादीगण  
2 सरकारी पैराकार उपस्थित

### निर्णय

दिनांक: 27.12.2023


वादी की ओर से वकील श्री भागीरथ तैली द्वारा दावा बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा - नाहरगढ़- सुमेल, पटवार हल्का सुमेल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र - बाबरा, तहसील रायपुर जिला ब्यावर में निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमि आई हुई हैं, जिसका निम्नानुसार है :-

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
01	1041	173 बीघा	बारानी दायम
	1041/1	135 बीघा 19 बिस्वा	बारानी दायम
	1041/2	129 बीघा 16 बिस्वा	बारानी दायम
	1041/3	12बीघा	बारानी दायम
	1041/6	931/05 बिस्वा	बारानी दायम
	1041/7	11 बीघा 10 बिस्वा	बारानी दायम
	1041/8	27 बीघा 10 बिस्वा	बारानी दायम
	1041/9	22 बीघा	बारानी दायम
	1041/10	22 बीघा	बारानी दायम
	1041/14	18 बीघा 04 बिस्वा	बारानी दायम
	1041/15	11 बीघा 10 बिस्वा	बारानी दायम

उपरोक्त जमाबन्दी सम्वत् 2067-2070 की नकलें वाद के साथ संलग्न पेश हैं, जिसे वाद का आवश्यक भाग समझा जावे। वादीगण की वृक्षवंशावली निम्नानुसार है:-

उदा पुत्र हेमा जी (फौत)

सुगनी | भंवरलाल | बिरमराम  
उपरोक्त खसरा नम्बर 1041 का कुल रकबा 1141 बीघा 11 बिस्वा सन् 1971 में आया हुआ था, सटलमेन्ट एवं आवंटन के समय दिनांक 10.06.1971 व दिनांक 11.06.1971 को ग्राम पंचायत सुमेल में पूर्व निश्चित कार्यक्रम एवं सूचना के अनुसार भूमि आवंटन कमेटी की मिटींग हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्यगण उपस्थित थे, श्रीमान् परगना अधिकारी जैतारण,श्रीमान् शंकरलाल विधायक विधान सभा जैतारण श्रीमान् विकास अधिकारी रायपुर, श्रीमान् तहसीलदार साहब, रायपुर श्रीमान् गुमानमल सरपंच सुमेल उपस्थित थे, आवंटन कमेटी की सर्व सम्मति से एवं राय से गाँव के विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न खसरा नम्बर की भूमि आवंटित की गयी। जिसमें उस दिन कुल 81 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गयी, तथा प्रमाण पत्र जारी किये गये। एवं कब्जा देने हेतु पटवारी पटवार हल्का सुमेल को लिखा

  
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर (ब्यावर)

गया। उक्त आवंटन आदेश के पश्चात् वादी संख्या 01 के पति व वादीगण संख्या 02 व 03 के पिता उदा पुत्र हेमा जी को खसरा नम्बर 1041 में 14 बीघा भूमि आवंटित कर कब्जा सुपुर्द किया गया। आवंटन की दिनांक एवं कब्जा सुपुर्दगी की दिनांक से उदा पुत्र हेमा जी का निरन्तर कब्जा काश्त रहा, जिसका देहान्त आज से करीब 6-7 वर्ष पूर्व हो गया उदा पुत्र हेमा जी की मृत्यु के पश्चात् उनके वारीसान वादीगण उक्त खसरा नम्बर की भूमि पर कब्जा काश्त बिना किसर रोक टोक के करते आ रहे हैं। लेकिन हल्का पटवारी की गलती से वादीगण एवं वादीगण के पिता एवं पति का नाम आवंटन कमेटी के आदेशानुसार आज दिन तक नामान्तकरण नहीं भरा गया, तब वादीगण ने दिनांक 13.03.2020 को आवंटन आदेश की नकल श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी जैतारण के कार्यालय से प्राप्त की, तब वादीगण के पिता व पति उदा पुत्र हेमा जी का नाम 68 नम्बर पर बतौर आवंटी के दर्ज मिला, लेकिन राजस्व विभाग के कर्मचारी पटवारी पटवार हल्का सुमेल ने उक्त आदेश की पालना करते वक्त वादीगण के पति एवं पिता का उदा पुत्र हेमा जीका नाम बतौर खातेदार दर्ज नहीं किया। इस कारण से आज दिन तक वादीगणके पिता एवं पति के नाम के स्थान पर सरकारी भूमि काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत के नाम दर्ज है। जबकि वादीगण के पति एवं पिता का उदा पुत्र हेमा जी का नाम आवंटन आदेश के अनुसार दर्ज किया जाना चाहिये था, तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके वारिसान वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जाना चाहिये था लेकिन आज दिन तक दर्ज हुआ, तब दिनांक 17.03.2020 को वादीगण ने उपरोक्त खातेदारी की नकले प्राप्त की तब जानकारी हुई कि वादीगण का नाम वर्तमान खातेदारी में नाम दर्ज नहीं है, इस कारण सेकब्जे काश्त एवं आवंटन के अनुसार वादीगण अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। उक्त खसरे के आवंटन के पश्चात् अनेक खातेदार हो गये जिसका कारण उक्त खसरा नम्बर 1041/1 से लगाकर 1041/46 बट्टा पड चुके है। लेकिन उपरोक्त चारसा नम्बरान का बन्टवाडा नहीं हो रखा है, औश्र ना ही मौके पर तरमीम हो रखा है, जबकि सभी खातेदार अपने अपने हिस्से पर एवं आवंटन के अनुसार एवं खातेदारी के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त बिना किसी रोक टोक के करते आ रहे है। वादीगण ने दिनांक 13.03.2020 को प्रतिवादी संख्या 02 से सम्पर्क किया, एवं अपना नामान्तकरण भरने हेतु निवेदन किया, तब प्रतिवादी संख्या 02 ने कहा कि आवंटन आदेश पुराना हो चुका है। तुम्हारा कोई नामान्तकरण नहीं भरुंगा, तथा बेदखल करने की धमकीयां दी आवंटन के आधार पर वादीगण व उसके पिता एवं पति का राजस्व रेकर्ड में आवंटन अनुसार दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। तथा अन्य लोग बिना किसी अधिकार के वादीगण को कब्जे से बेदखल करने पर उतारु है, जबकि उक्त आवंटन सुदा जमीन पर मौके पर काबिज काश्त आज दिन तक करत आ रहे है। राजस्व रेकर्ड में वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान हो रहा है। वादीगण ने अपने हक हिस्से की भूमि का समतल व उपजाउ बनाने मे काफी रुपये खर्च किये है। वादीगण एक काश्तकार व्यक्ति है जिसका पूरा परिवार काश्तकारी करके ही अपना जीवन यापन करते आ रहे है, वादीगण के पास उक्त खसरा नम्बरान की जमीन के अलावा अन्य कोई जमीन नहीं है। अगर वादीगण को उक्त जमीन से बेदखल कर दिया जाता है, या वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न की जाती है तो वादीगण को असीम क्षति व भारी नुकसान होगा जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी सुरत में सम्भव नहीं होगी। वादीगण को अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा। इसलिये वादीगण को अपने हक हिस्से की घोषणा करवाने हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 01 के प्रतिवादी संख्या 02 अधीन है, इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को पक्षकार बनाया गया है, तथा प्रतिवादी संख्या 01 उक्त खसरा नम्बरान की जमीन के लैण्ड हौल्डर है, इसलिये प्रतिवादीगण को इस वाद में पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 राज्य सरकार के अधिकारीगण है, जिनके विरुद्ध वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन नोटिस व इसकी अवधि समाप्त होने तक प्रतिवादीगण गलत नाम के आधार पर वादीगण को जमीन से बेदखल कर देंगे, इसलिये बिना नोटिस दिये ही श्रीमान् जी से अनुमति लेकर वाद पेश किया जा रहा है, अनुमति प्रार्थना पत्र साथ प्रस्तुत है। विनायदावा उक्त रेकर्ड की जानकारी होने पर वादीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर वादीगण को अपने नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई तब दिनांक 13.03.2020 को वादीगण ने पति एवं पिता के नाम आवंटन आदेश की नकल प्राप्त की तथा जमाबन्दी की नकल दिनांक 17.03.2020 को प्राप्त की, वादीगण को जानकारी हुई तब वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 02 को दिनांक 13.03.2020को राजस्व रेकर्ड में उक्त आवंटन अनुसार वादीगण का नाम इन्द्राज करने का कहने पर प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा मना करने एवं वादीगण को कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिय धमकिया देने पर बमुकाम सुमेल, तहसील रायपुर जिला ब्यावर में पैदा होता है, जो अदालत बाला के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार हक अखत्यार का होने से वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है। मालीयत वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एवं बन्टवाडा पर निर्धारित न्याय शुल्क पेश है। डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर घोषित फरमाया जावे कि वाद के पद संख्या 01 में वर्णित खसरा नम्बरान 1041 रकबा 1141.11 बीघा में वादीगण को 14 बिघा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाकर तदानुसार बाई मिट्स एण्ड बोण्ड्स के जमीन पर बन्टवाडा करके पत्थर गढी करने नक्शा ट्रेस में तरमिन कर राजस्व रेकर्ड में अमल बरामद किया जाकर वादीगण को खातेदारी काश्तकार घोषित फरमाया जावे। डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर फरमाकर स्थाई

222  
 सहायक न्यायाधीश (ब्यावर)  
 रायपुर (ब्यावर)

निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि वाद के पद संख्या 01 में वर्णित आवंटित जमीन 14 बीघा में वादीगण के हक अनुसार वादीगण के उपयो उपभोग काश्त काश्त मुतालिक समस्त कार्य करने में किसी प्रकार की दखलनदांजी व बाधा उत्पन्न नहीं करें, इसके लिये प्रतिवादीगण स्वयं व उसके अधिनस्थ कर्मचारी, नौकर चाकर हाली एजेन्ट इत्यादि को हमेशा के वास्ते पाबन्द फरमावें। वाद का सम्पूर्ण खर्चा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें। अन्य दिगर दादरसी मुफिद अगर कोई हो तो वादीगण के हक में अता फरमावें।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 नियम 04 सीपीसी के तहत पेश किया है जो संलग्न पत्रावली किया गया है प्रार्थना पत्र में वादी संख्या 01 सुगनी फौत हो गई है एवं उनके कायम मुकाम पहले से ही रेकॉर्ड उपलब्ध है इसीलिए इनका नाम हटाया जाने हेतु निवेदन किया है प्रार्थना पत्र 22 नियम 04 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 01 सुगनी का नाम रेकॉर्ड से हटाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रतिवादीगण तहसीलदार रायपुर ने अपने पत्रांक /राजस्व/2023/1659 दिनांक 26.12.2023 द्वारा मौका फर्द रिपोर्ट प्राप्त हुई है जो पत्रावली संलग्न की गई है जिसमें राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार ग्राम सुमेल की मिसल बंदोबस्त प्राप्त की जिसमें खसरा नम्बर 1041 रकबा 1141 बीघा 11 बिस्वा किस्म बरानी दायम व खसरा नम्बर 1041/1 रकबा 813 बीघा 15 बिस्वा किस्म बरानी दायम व खसरा नम्बर 1041/2 रकबा 794 बीघा किस्म बरानी दायम दर्ज है। जमाबंदी की जांच की गई जिसमें प्रार्थीगण भंवरलाल पुत्र उदा, बिरमराम पुत्र उदा जाति गुर्जर निवासीगण केसरपुरा सुमेल से पूछताछ की गई एवं आवंटन आदेश की प्रति प्राप्त की, मौके पर जांच की गई, आवंटी उदा पुत्र हेमा जाति गुर्जर निवासी केसरपुरा के प्रार्थीगण वैद्य वारिसान है जिनकी तस्दीक की गई जो खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं। रेवेन्यु रिकार्ड की जांच में आवंटन आदेश दिनांक 10.06.71 की सूची में क स 68 पर दर्ज आवंटन उदा पुत्र हेमा का नाम राजस्व रिकार्ड में आज दिन तक दर्ज नहीं पाया। आवंटन आदेश की पालना पूर्व में नहीं की गई। आवंटी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की रुबरु मौतबिरान जांच की। विवादित आराजी राजस्व गांव नाहरगढ के खसरा नम्बर 1041 के वर्तमान में राजस्व रिकार्ड के अनुसार 1041/1 से लगाकर 1041/54 बट्टा पड चुके हैं। उक्त खसरे के आवंटन के पश्चात् अनेक खातेदार हो गए हैं। आवंटी व उसके वारिसान/प्रार्थीगण राजस्व गांव नाहरगढ के खसरा नम्बर 1041/1 रकबा 10.8051 है किस्म बा. दो. (काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत) में से 2.2652 है (14 बीघा) पर वक्त आवंटन से कब्जा काश्त कर रहे हैं। साथ ही उपरोक्त भूमि में वादीगण के नाम दर्ज किया जाए तो तहसीलदार रायपुर को कोई आपत्ति नहीं है।

बहस समायत की गई। बहस में वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया खसरा नम्बर 1041/1 रकबा 10.8051 है किस्म बा. दो. (काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत) में से 2.2652 है (14 बीघा) भूमि पर आवंटन से आज तक कब्जा है। उक्त खसरा नम्बर पर प्रार्थीगणों को ही कब्जा है, वादीगण के पूर्वज का नाम राजस्व रिकार्ड के जमाबंदी गांव सुमेल संवत् 2032-2035 तहसील रायपुर जिला पाली में दर्ज है। वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु निवेदन किया है। बहस में बताया कि उक्त वादीगण का वर्तमान में भी आज दिनांक तक कब्जा काश्त है। ग्राम पंचायत सुमेल का प्रमाण पत्र भी वादपत्र के साथ पेश किया है जिसमें सुखदेव उर्फ लक्ष्मण पुत्र धन्ना जाति गुर्जर निवासी केसरपुरा सुमेल रायपुर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ इनकी मृत्यु हो गई अतः इनके निम्न वारिसान है भंवरलाल, नेमीचन्द्र पुखराज नैना पुत्र सुखदेव हैं अतः इनको व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ। इस संबध में पंचायत द्वारा लिखित में दिया है।


उभयपक्ष बहस, उपलब्ध दस्तावेजो एवं पत्रावली के अवलोकन के पश्चात् सरहद मौजा- नाहरगढ पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र - बाबरा के खसरा नम्बर 1041/1 रकबा 10.8051 है किस्म बा. दो. (काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत) में से 2.2652 है (14 बीघा) में तहसीलदार रायपुर की मौका रिपोर्ट से पूर्णतया साबित होता है कि वादीगण ही इनके उत्तराधिकारी हैं। इस आराजी पर कब्जा काश्त है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा- नाहरगढ पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र - बाबरा के 1041/53 रकबा 13.798 है किस्म बा. दो. (काबिल काश्त भूमि

सहायक निरीक्षक क्षेत्र - बाबरा के खसरा नम्बर 1041/53 रकबा 13.798 है किस्म बा. दो. (काबिल काश्त भूमि)  
रायपुर (बाबरा)

पुरानी पडत) में से 3.2360 है (20 बीघा), वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

### आदेश

वादी का वाद बहक, वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा- नाहरगढ पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र - बाबरा के खसरा नम्बर 1041/1 रकबा 10.8051 है किस्म बा. दो. (काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत) में से 2.2652 है (14 बीघा) भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। वादग्रस्त आराजी वादी का कब्जा काश्त (वाद के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट से सिद्ध होता है) के अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता है। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर-चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है। तहसीलदार रायपुर तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जाकर पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को प्रेषित किया जावे। तहरीर जारी हों।




(सुरेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix "d" -1)  
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

वादीगण :-

1. सुगनी पत्नी उदा जी उम्र 64 साल, (फौत होने से हटाया गया),
2. भंवरलाल पुत्र उदा जी, उम्र - 49 साल,
3. बिरमराम पुत्र उदा जी, उम्र - 45 साल,

जातियान गुर्जर, निवासीगण - केसरपुरा - सुमेल, तहसील - रायपुर जिला- ब्यावर (राजस्थान)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. तहसीदार जी, तहसील कार्यालय- रायपुर, जिला -ब्यावर।
2. पटवारी पटवार हल्का - सुमेल, तहसील -रायपुर (ब्यावर)।

दावा बाबत घोषणा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि.


राजस्व वाद 47/2020

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरुबरु हमारे व हाजरी श्री भागीरथ तेली अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुदईव सरकारी पैराकार प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादीगण का वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा- नाहरगढ पटवार हल्का सुमेल, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र - बाबरा के खसरा नम्बर 1041/1 रकबा 10.8051 है किस्म बा. दो. (काबिल काश्त भूमि पुरानी पडत) में से 2.2652 है (14 बीघा) भूमि पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता यथावत रहेगा। वादग्रस्त आराजी वादी का कब्जा काश्त (वाद के संलग्न फर्द मौका रिपोर्ट से सिद्ध होता है) के अनुरूप वादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रायपुर को निर्देशित किया जाता है। वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुतालिक अन्य कार्य में दखलअंदाजी से प्रतिवादीगण, उनके नौकर-चाकर, हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हों को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है।

नीज.....x.....मुबलिक.....x.....बाबत.....x..... खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .....

...x.....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक .....x.....को अदा करे।

बसिब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27.12.2023 को जारी किया गया।

  
(सुरेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

मुदई	रूपया	पै.	मुदयलह	रूपया	पै.		
स्टाम्प अर्जीनामा	-	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	-	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	-	4	00	स्टाम्प हाजरी	-	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	-	00	00	मेहनताना वकील पर	-		
मेहनताना वकील	-			खर्चा गवाहान	-		
खर्चा गवाहान	-			फीस कमिश्नर	-		
फीस कमिश्नर	-			बाबत इजराय हुक्मनामा	-		
बाबत इजराय हुक्मनामा	-			मुतफरिक	-	00	00
मुतफरिक	-	10	00	मीजान	-	00	00
मीजान	-	18	00				

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नहीं दर्ज किया जावे।